

प्रेषक,

शंभु शरण भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

पटना, दिनांक- 12/01/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में बांका जिलान्तर्गत रजौन प्रखंड स्थित मकरमडीह ग्राम में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत राशि रु० 1,65,03,000/- (रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख तीन हजार) के विरुद्ध व्यय की गयी राशि 1,78,36,968/- (रुपये एक करोड़ अठहत्तर लाख छत्तीस हजार नौ सौ अड़सठ) का अन्तर राशि (1,78,36,968-1,65,03,000)=13,33,968/- (रुपये तेरह लाख तेतीस हजार नौ सौ अड़सठ) मात्र का व्यय की स्वीकृति ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विभागीय राज्यादेश संख्या-1126(10), दिनांक-05.12.2017 एवं आवंटनादेश संख्या-17(10)ब, दिनांक-12.12.2017 से प्राप्त मॉडल प्राक्कलन के आधार पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में बांका जिलान्तर्गत रजौन प्रखंड स्थित मकरमडीह ग्राम में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण, फर्निचर एवं चहारदीवारी निर्माण हेतु रुपये 1,65,03,000/- (एक करोड़ पैंसठ लाख तीन हजार रुपये) मात्र लागत पर योजना एवं व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी ।

2- इस क्रम में मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना के पत्रांक-2610, दिनांक-12.06.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्यस्थल के अनुरूप आरेखन के अनुसार प्लॉथ की बढ़ोतरी एवं छत पर APP का निर्माण करार्य कराए जाने के कारण कुल रु० 1,79,30,318/- मात्र का पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है, तदक्रम में निगम द्वारा प्राप्त तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के समीक्षोपरान्त सेन्टेज राशि को यथावत् रखते हुए कुल संशोधित राशि रु० 1,78,36,968/- मात्र के पुनरीक्षित स्वीकृति (मूल स्वीकृति से 8.08% अधिक) के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 में अन्तर राशि कुल रु० 1,78,36,968-1,65,03,000= 13,33,968/- (रुपये तेरह लाख तेतीस हजार नौ सौ अड़सठ) मात्र का व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा स्वास्थ्य विभागीय राज्यादेश सं०-1126(10), दिनांक-05.12.2017 में निहित शर्तों के आधार पर किया जायेगा ।

4- इस पर होने वाले व्यय का वहन मांग सं०-20 के अंतर्गत राज्य योजना बजट मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0109-स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र के भवनों का निर्माण, विपत्र कोड-20-4210020510109, विषय शीर्ष-(53 01) मुख्य निर्माण कार्य अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा ।

5- इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

6- अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी०एल० एकाउन्ट सं०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID में जमा कर राशि का खर्च विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए करेंगे ।

7- बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

8- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08, 3758/वि०, दिनांक-31.05.2017, 7111/वि०(2), दिनांक-28.07.2022 एवं 12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

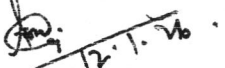
10- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

11- स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-7/बजट-46-23/2023 के पृष्ठ-11.12/टि० में प्राप्त है।

12- यह मात्र स्वीकृत्यादेश है। आवंटन CFMS के माध्यम से निर्गत किया जायेगा।

13- संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(श्री शरण)

सरकार के अपर सचिव।

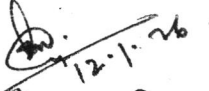
ज्ञापांक:-

13 (7A)

/स्वा०, पटना, दिनांक:- 12/01/2026

प्रतिलिपि-योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/जिला पदाधिकारी, बांका/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बांका/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रजौन (बांका)/कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-7/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव।
Alpana